



No.A-43020/54/2013-RTI

To be issued in Hindi
RTI MATTER/TIME BOUND

Government of India/भारत सरकार

Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

New Delhi, Dated the 30th June, 2014

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Vishnu under RTI Act,2005- regarding.

Whereas Shri Vishnu vide his application dated 25/04/2014 under RTI Act, 2005 received in this Ministry on 25/04/2014, had sought information on various subjects from this Ministry.

2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 15/05/2014 had already replied to the applicant.

3. Whereas vide his first appeal dated 06/06/2014(received on 06/06/2014), Shri Vishnu stated that no information had been received in respect of his RTI application dated 25/04/2014.

4. Whereas Shri Vishnu is informed that vide point No. 1, he had not sought any specific information which is held by the Ministry of Home Affairs. He has sought opinion/views of the CPIO. Such requests do not come under the definition of information specified under Section 2(f) of the RTI, Act, 2005. Further, vide point No. 2, he had sought about action taken on his letter dated 22/04/2014 addressed to Ministry of Railways for which Ministry of Home Affairs is not concerned. Therefore, the reply given by the CPIO is in order.

5. So far as the communication of Shri Vishnu dated 22/04/2014 addressed to Hon'ble Home Minister is concerned, it is informed that the same was earlier sent to the Coordination Division of this Ministry for appropriate action. Therefore, a copy of RTI application and appeal of Shri Vishnu is being sent to CPIO concerned for taking necessary action, if any.

6. The Appeal of the appellant is accordingly disposed of.


(Satpal Chouhan)


Joint Secretary & Appellate Authority
Ph. No. 23093178

Shri Vishnu,
32-43-A, Lane No. 10,
Bhikam Singh Colony,
Vishwas Nagar, Shahdara,
Delhi-110032.

Copy along with a copy of RTI application and appeal of Shri Vishnu to:

1. The Under Secretary(Coord. II), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi for taking necessary action.

✓ 2. SO(IT Cell) for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act- Information under 4(1)(b) of the Act.


35/6/14

Joint Secretary & Appellate Authority

25/6/14

सेवा में श्रीमान

प्रथम अपील अधिकारी जी,
(सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत)

श्री. सतपाल चौहान जी,
अध्यक्ष, एम.एच.ए. केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय
नई दिल्ली -

6/6/14
25/6/14

50(RTI)
25/6
53/14

1st Appeal

Pls. trace again

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

महोदय,
दिनांक 25/4/2014 को आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना मांगने के लिए आवेदन किया था।

1. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है।

2. इस संबंध में दिनांक 25/4/2014 को लोक सूचना अधिकारी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गये जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि यह जवाब अधूरा है / गलत है / मेरे द्वारा मांगी गई सूचना से अलग है / भ्रामक है।

आपसे निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें। साथ ही, सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले में लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का आदेश दें।

मिजी सरकार के अंतर्गत प्रथम अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाई है तो प्रश्न की उपस्थिति समझी जाए स्वयं प्रथम अधिकारी जी से तार्पना है की, प्रश्न का जवाब राइट माथा दिन्वा में दिलार जाने का आदेश दे, क्वर के लिए समाप्त है।

नाम : विष्णु (अध्यक्ष) शिव महाकाली श्री श्री सेवा सेव्या
पता : 32/43 A जल नाला नं-10 नई दिल्ली-110016
संलग्नक : 1. आवेदन की प्रति,
2. आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति,
3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति।
दिनांक 6/6/14

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
06 JUN 2014
के.र.सं. 287581
C.R. No. 287581
नं.आ. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/North Block




शिव

सुन्दर



ॐ नमः शिवाय ॐ

शिव महाकाली भैरवी सेवा संस्था (पंजी०)



(शान्ति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
स्थापना : 2006 Email : SMKB_sevasansta@yahoo.co.in
सम्पूर्ण भारत कार्य क्षेत्र संस्था की सभी प्रकार की न्यायलय कार्यवाही दिल्ली राज्य में होगी

Vishnu

P.R./S.M.K.B.S.S

दिनांक 25/10/14.....

सेवा में,
श्रीमान केंद्रीय जनसूचना अधिकारी जी,
केंद्रीय गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक
भारत सरकार - नई दिल्ली

विषय: श्री गरी पत्र पर जानकारी सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में
R.T.I आवेदन पत्र!

(1) मान्यवर

सम्बन्धित कार्यालय में मंत्रालयों / विभागों के अधिकारी / अधिकारियों / कर्मचारियों / कार्यकारियों / को जनता / समाजिक व्यक्तित्व / व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाने के तथा आदेश दिए गए हैं, क्योंकि, सम्बन्धित कार्यालय / मंत्रालयों / विभागों के अधिकारी / अधिकारियों / कर्मचारियों / कर्मचारियों का स्वैच्छा / व्यवहार में व्यवहार सुचारु नहीं किया जाता है तथा अनेक व्यवहार लाजवाब हो रहे हैं। माननीय करण के आदेश हैं, तथा इस समाज के लिए कि बाल-शोध, कार्य प्रणाली में, बाल-शोध सुचारु हो पाएगा, सम्बन्धित कार्यवाही कि जानकारी / दस्तावेज आदेशों कि प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने का कार्य करें।

(2) दिनांक मां रेल एवं परिवहन सम्बन्धित दिनांक 25/10/14 में पत्र दिया था, सम्बन्धित शीना पत्रों पर किस प्रकार कि कार्यवाही के आदेश-दिशानिर्देश देते हैं सम्बन्धित कार्यवाही कि गति है, सम्बन्धित कार्यवाही कि प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने / आवेदन शुल्क जमा कराया जा रहा है,

(Handwritten signature)

विष्णु (अध्यक्ष) शिव महाकाली भैरवी सेवा संस्था

शिवम्



ॐ नमः शिवतरायै ॐ

सुन्दरम

268875

शिव महाकाली भैरों सेवा संस्था (पंजी०)



(शांति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
स्थापना : 2006 Email : SMKB_sevasanstha@yahoo.co.in
सम्पूर्ण भारत कार्य क्षेत्र संस्था की सभी प्रकार की न्यायलय कार्यवाही दिल्ली राज्य में होगी

Vishnu

P.R./S.M.K.B.SS

दिनांक 22/4/14

22/4/14
(1)

श्रीमान केंद्रीय रेल मंत्रालय,
केंद्रीय रेल मंत्रालय भा.सं.
नई दिल्ली-110002

(2) सेवा में,
श्रीमान केंद्रीय रेल मंत्रालय,
केंद्रीय रेल मंत्रालय भा.सं.
नई दिल्ली-110002

विषय: भारतीय रेल गाड़ियों सम्बन्धित रेल विभागी स्टेशन में यात्रियों सम्बन्धित सन्धी परेशानियाँ / कार्रगियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने व संस्था पैसिजल / लम्बे रूट वाली रेल ट्रेनों की संख्या बढाए जाने एवं सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही के आदेश दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक का अन्वयन किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

मान्यवर संस्था कि और समय-समय पर पत्र व R.T.I के माध्यम से निम्न सुझाव, सुधार देते आ रहे हैं, व देते रहेगी जैसा कि इस विषय में कुछ सुधार हुआ है परन्तु अब भी भारतीय रेल विभागों स्टेशनों व उनसे सम्बन्धित आस-पास के इलाक़ों में निम्न-निम्न सुधार कि आवश्यकता है।

(1) जैसे कि भारतीय पैसिजल / लॉकल ट्रेनों में कार्रगियों सम्बन्धित जो परेशानियाँ हैं निम्न प्रकार हैं: अकांठ व्यवस्था हिमन होना और चालक में गंदे अतिविक होना सिबो रिबडजा दूरे होना फेंस व टियुब लाइटों का कार्य हिमन होना जगह-जगह से रेल स्टेशनों में दूरे दूर होना सम्बन्धित कार्रगियों को अत्यधिक / शाराति तल्लोसा खुंडा गरीब करण अशुभ्य बोला विवेक अरु पर माट-फिट करण आता। यह सब दिल्ली से श्रापिकरा / हरिद्वार पैसिजल ट्रेन में देखा जा सकता है जैसा है हाल अन्य पैसिजल / डे-एम्. पू ट्रेनों में यह सब आम बात से ही गरीब जैसा है हाल बेहाल अन्य पैसिजल ट्रेनों में देखा जा सकता है, सभी ट्रेनों की संख्या बडाई जाए, कार्यवाही के आदेश दिए जाए।

पृष्ठ-2

सिद्ध है कि सभी अवयवों को दूर किए जाने के आदेश दे, मुख्यतः महिला पुलिस कर्मियों कि प्रत्येक स्टेशन पर (एच) चंटे व नारी से स्टेशन पर सि.सी.टी.वी के माध्यम से विलक्षण कि जहाँ सभी स्टेशन पर अचिकारी/उच्च अचिकारी/कर्मचारियों के माई-जाई का समय बायोमेट्रिक सिस्टम सभी स्टेशन में मंत्रालय व विभागों में दुरन्त लागू किया जाये, अग्रय अग्रय पर संस्था ने आग्रह भी किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में खाना पुत्री कार्यवाही कि गृह

(3) यह है कि जो कर्मचारी/अचिकारी अपना कार्य इमान्दारी व मिष्टा पूर्वक करते हैं ऐसे कर्मचारियों का ही शौच व क्यों होता है - न्याय रेल मंत्रालय एवं सम्बन्धित विभाग जांच का-का कार्यवाही क्यों नहीं कि जाती है, ज्यादा तब उच्च अचिकारी अपने से निचे अचिकारी से व कर्मचारी द्वारा अपने निचे कार्य करते हैं, इससे ज्यादा इसी मात्र अर्थात् कर्मचारियों को ये, सभी परेशानियाँ मोजी पडती हैं, यह सब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टेशन मास्टर व अचिकारी अपने कर्मचारियों से किस प्रकार समझ, व्यवहार करते हैं, आश्चर्यजनक है। कर्मचारी/कर्मचारियों के विवाह पैदा करवाते हैं और विवाह की लड़ाई दुरी या फुल सी कर्मचारी का पक्ष लते दुरी व बचाव करते दुरी अपने पर का पूर्ण रूप से दुर उपयोग लागू शर्त रखाइया मज माली करते दुरी देखा जा सकता है, ऐसे अचिकारी/अचिकारियों को उनके कार्य से निष्काशित किए जाना चाहिए। जिससे कि इमान्दारी कर्मचारी/अचिकारी/अचिकारियों का विश्वास बढा रहे इस विषय में जांच के आदेश दे, प्रत्येक स्टेशन/विभाग जांच कार्यवाही निष्ठापन की जाये

(4) यह है कि सभी कर्मचारी/अचिकारियों/अचिकारी कि वर्धी फेल्लकार व नैम वे पद लीट लगाकर कार्य करने के आदेश दे, और सभी कर्मचारी/अचिकारी/अचिकारियों अपने-र. पद पे रहते दुरी कार्य करने के आदेश दे,

(5) यह है कि प्रत्येक स्टेशन/विभाग में व्यापक रूप से केले दुरी महाराचार कि जांच व कार्य वाई के आदेश दे,

(6) यह है कि प्रत्येक स्टेशन पर बाँचालय के नाम पर स्पर्त व पैसे वगैर लजाते हैं यह सब सम्बन्धित विभाग कार्यालय कि मिली-मंगल से होता है, कार्यवाही व जांच के आदेश दे,

(7) यह है कि ज्यादा तब स्टेशन पर यात्रियों के लिए पिने योग्य पानी व जल कि व्यवस्था ठीक-ही होती है। जैसे कि लदबू या पानी व पानी न होना व पानी के पास गंदगी अचिकारिना आदि समस्याओं को देखा जा सकता है अपने ही कार्यवाही के आदेश दे,

(8) यह है कि प्रत्येक स्टेशन के अन्दर व आस-पास आवासीय/कब्जा होना यह सब सम्बन्धित विभाग उसके अचिकारी कर्मचारियों कि मिली-मंगल से होता है, इस सम्बन्ध में मानवीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके आदेशों की अवहेलना किस आदेशों से ही रही है कार्यवाही के आदेश दिए जाय !

यात्रियों / मुसाफिरी के लिये सौद्री सम्बन्धित व्यवस्था भारतीय रेल / रेलों में कि जाये
 जिससे कि यात्रा का आनन्द यात्री ले सके, जिससे कि रेलों में ही स्टेशन आने से पहले
 ही पूर्वक स्टेशन कि जानकारी मिलना C.C.T.V के जरूरी की व्यवस्था हाजिर अर्थात्;

(10) यह है कि पैसिंजर / लोकल / E.M.U / मेल रेलों में कि नरों द्वारा असमाजिक तत्वों के साथ
 मिलकर यात्रियों / मुसाफिरी से जबरन पैसा वसूलते हैं, इसमें ठोंगी बाबा, पारखंडी / मौलवी की
 अपनी मुम्बिका व और-उम्बिका नावायिक लखे अपनी मुम्बिका लड़े ही हैशियायी में
 निम्नाने दुरे यात्रियों से पैसे वसूलते हैं इस संबन्ध में प्रशासनिक व टिके स्टेशनो के सम्बन्धित
 विभागों के अधिकारी कमियात्रियों जो इसीक जानकारी होने पर भी, कार्रवाई नहीं कि
 जाती है, यह सब पैसिंजर / लोकल / E.M.U / मेल रेलों में देखा जा सकता है
 इस संबन्ध में जांच कार्रवाई के आदेश दे,

(11) यह है कि संख्या की भारतीय रेल / रेल मंत्रालय सम्बन्धित विभागों के सनी उच्च अधिकारी /
 अधिकारी / केनाज पर, पर सम्बन्धी विभाग का नाम मोबाइल नं. / फोन नं. ई. मेल आदि की
 ब्यसुडि मौजूदा डारमटरी / जाचकरी प्रदान कि जाये. टेल फोन नं. की जानकारी दी
 जाये, एवं आपातकालिन स्थिति में रेल मंत्रालय / विभाग के आपातकालिन अधिकारी /
 अधिकारियों के नाम व पर, पर, सम्बन्धित विभाग मोबाइल / फोन नं. कि जानकारी दी जाये.
 जिससे कि पीडित यात्री / व्यक्ति की भरपूर सुहाय कर सके किमिकल सम्बन्धित
 सुविधा, उपलब्ध कराये जाने के आदेश दे,

(12) भारतीय रेल / रेल मंत्रालय / सम्बन्धित विभाग द्वारा एन. जी. ओ. समाजिक संस्था /
 धार्मिक संस्था / शैक्षिक संस्थानों / सोसाइटी / चैरिटीबल स्ट्र, प्रैस / इलेक्ट्रोनिक मीडिया
 व राजनीतिक दल / पार्टी के सदस्य / सदस्यों व ग्रुप को किस-2 प्रकार कि रेल किरायों व रिजर्वेशन
 नियम छूट दी जाती है. यह छूट / रिषायत कितने-2 प्रतिशत सिधारित दों पर दी जाती है.
 किस प्रकार प्राप्त कि जाती है, संख्या होने वाले दरतावेजों की प्रतिलिपि व जानकारी उपलब्ध
 कराई जाये, सम्बन्धित विभाग जहाँ यह दरतावेज जमा कराते दुरे छूट ले जासके स्या
 ये, छूट का प्रवधान किस-2 व्यक्ति पर लागू है, सभी सम्बन्धी छूट का प्रवधान एवाक्य
 है, इसकी पूर्ण जानकारी मागि दरी-न सम्बन्धी दरतावेज की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने के आदेश दे,

(13) यह है कि जनहीत / राष्ट्र हीत में कि जेक 3/1/13 में पर दिना गय का जो कि संलग्न है इस पत्र
 पर स्या कार्यवाही कि गठि काया बतारे;

— सचिव
 श्री जगजित
 सिद्धु (उप-डायरेक्टर) सिविल इंजीनियरिंग - नैरो गैज

शिवम्

सुन्दरम्



ॐ नमः शिवाय ॐ

26/8870

शिव महाकाली भैरों सेवा संस्था (पंजी०)




(शान्ति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
स्थापना : 2006 Email : SMKB_sevasanstha@yahoo.co.in
सम्पूर्ण भारत कार्य क्षेत्र संस्था की सभी प्रकार की न्यायलय कार्यवाही दिल्ली राज्य में होगी

दिनांक 22/4/14

Vishnu

P.R./S.M.K.B.SS



(२) सेवा में श्रीमान के श्री प्रमोद मे श्री जी, व-राज्य गृह मंत्रालय में कार्य करने वाले भारत सरकार नई दिल्ली.

पुत्रादन व्यवस्था के लिए श्री जी व श्री जी के लिये से जल्द ही करे जायेगी कि संख्या बहाल करे व संकेतित कि पत्र कार्यवाही के आदेश, प्रशासनिक करे जाये व उपलब्ध करे जाये व सम्बन्धित प्रमाण पत्र,

मा-यव संस्था कि ओर से समय-2 पत्र पत्र व R.T.I के माध्यम से रिक्त सुचारु व सुझाव देते आ रहे हैं व देते रहेंगे । जैसा कि किम सुझाव पर अमल करे जाये परन्तु अभी परिवार व्यवस्था पूर्ण रूप से ठिक नहीं है। (4) जैसा कि वसी में संकेत व्यवस्था ठिक न होना शिर्ष, पूरे व अधिक आवाज देने सम्बन्धित टैलर कि नो पर सन्तुष्ट कराने देना श्री चाली के व्यवस्था ठिक न होना किने योग्य पाये व्यवस्था ठिक न होना व असमाप्तिक पत्रों का ज्यादातर वस अडा पर नील बसा होना आदि रूप से वस अडा के आम पास अतिक्रमण/कलना होना ज्यादातर वस अडा के ठिक कि अधिक व सुती करना कानून+22 नॉबल ह्यार । अमरू व्यवहार करना विभिन्न परिस्थितियों में धारिका का कार्यवाही अंतिम करी द्वारा जारी देली व प्रारंभ करना सुरक्षा व्यवस्था ठिक न होना लोकल परिवार व्यवस्था ठिक न होना आदि, धारिका संकेतित सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द देर करने के आदेश है।

पृष्ठ, १

संज्ञित में परिवहन मंत्रालय / विभाग के आपातकालिन अधिकारी,
 के नाम पर, पर सम्बंधित विभाग मोबाइल नं. मोन नं. कि जानकारी उपलब्ध
 करें जिससे कि पीड़ित यात्री कि मदद व लुहार कर सकें एवं यिनिसला सम्बंधित
 वस अड्डा पर सुबिधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि आपातकालिन संज्ञित में पीड़ित
 यात्री / व्यक्ति कि मदद कि जासके,

3) परिवहन मंत्रालय / विभाग द्वारा संस्था, एन. जी. सी., ऑसट्टी, चैरिबल ट्रस्ट, वी. वी. के संस्था,
 समाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, मठ, पैस / इलेक्ट्रोनिक मीडिया राजनीतिक दल / पार्टी के सदस्य /
 सदस्यो व गुप्तो को किस - 2 प्रकार कि छूट मिले - 2 प्रतिगत निर्धारित सभी वस सेवाओं
 मिसायो में मिलने वाली छूट रियायत किस - 2 प्रकार से प्राप्त कि जा सक्ती है सम्बंधित संगठन वी. वी. के
 दस्तावेजो कि हतिलिपि व जानकारी उपलब्ध कराई जाए सम्बंधित विभाग / जहाँ ये, जमा कराते हुरी
 छूट व रियायत कि जासके, न्या इसी प्रकार कि छूट व रियायत सम्बंधित व्यक्ति जैसे वट्ट नांगरि /
 वरिष्ठ नागरिक में होइन / विभागो व्यक्ति के छूट व रियायत पूर्वघान है कृपया जानकारी सम्बंधित
 दस्तावेजो कि हतिलिपि व मठा दर्शन कराते जाए कि कृपया करे सभी जानकारी राष्ट्र - माघा हिंदी में
 उपलब्ध कराते कि कृपया करे १.

4) यह है कि जनता / राष्ट्र में दिनांक 30/2/13 में पत्र किया गया था जो कि संगत है इस पत्र पर स्या
 कार्यवाही कि गड्ड हाट्या बतारे, 11/7/13

मवदीय

श्री राम

विष्णु (अध्यक्ष) शिव महाकाली मठ संला संस्था

शिवम

सुन्दरम



ॐ नमः शिवाय ॐ

शिव महाकाली भैरों सेवा संस्था (पंजी०)



(शान्ति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
 कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
 स्थापना : 2006 Email : SMKB-sevasanstha@yahoo.co.in
 सम्पूर्ण भारत का क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा न्यायलय कायंवाह दिल्ली राज्य में होगा
 New Delhi-110009

दिनांक 1/7/13

Vishnu
P.R./S.M.K.B.SS

01 JUL 2013

Received Dsk

Date

Client's Secretariat

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी,
 राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार,
 नई दिल्ली 110011

उपराष्ट्रपति कार्यालय, भारत सरकार,
 6, मौलाना आजाद रोड, दिल्ली

Supreme Court of India
 Section Officer
 01 JUL 2013
 Received on...

माननीय मुख्यन्यायाधीश जी,
 सर्वोच्च न्यायालय, (भारत)
 नई दिल्ली

माननीय प्रधानमंत्री जी,
 भारत सरकार, साऊथ एवेन्यू,
 रायसिना हिल, नई दिल्ली-110011

माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी,
 संसद भवन, सचिवालय,
 नई दिल्ली

माननीय केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी,
 केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय,
 नई दिल्ली

श्रीमान आयुक्त महीदेव,
 केन्द्रीय सूचना आयोग,
 सी-विंग, अगस्त्य क्रांति भवन,
 भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली

माननीय केन्द्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी,
 केन्द्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय,
 भारत सरकार, नई दिल्ली

माननीय गृहमंत्री जी,
 गृहमंत्रालय, भारत सरकार,
 नई दिल्ली

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
 राष्ट्रीय धानवाधिकार आयोग,
 फ्लोडिंग हाउस, कर्पूरिका मार्ग,
 नई दिल्ली-110001

श्रीमान केन्द्रीय मंत्री जी,
 पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार,
 नई दिल्ली

श्रीमान निदेशक जी,
 केन्द्रीय प्रदूषण
 कङकडडूमा, दिल्ली

श्रीमान उपराज्यपाल महोदय,
 राजनिवास, राजपुर रोड,
 नई दिल्ली

माननीय मुख्यमंत्री जी,
 मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार,
 नई दिल्ली

केन्द्रीय सचिव जी,
 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
 नई दिल्ली

श्रीमान आयुक्त,
 भारत निवाचन आयोग,
 अग्रोफा रोड नई दिल्ली

RAJ NIWAS

Sign

Date

DELHI


1-7-2013

Ministry of Home Affairs

प्राप्त किया


पत्र प्राप्त किया

भारत निवाचन आयोग
 Election Commission of India
 RECEIVED
 नई दिल्ली / New Delhi



भारतीय मुख्य न्यायाधीश जी,
राष्ट्रीय न्यायालय, नई दिल्ली
110003

✓ श्रीमान केन्द्रीय मंत्री जी,
परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली 110015



21/7/13 श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी,
कार्यालय उत्तराखण्ड भवन, कोणक्यपुरी,
उड राज्य नई दिल्ली
राखण्ड निवास
नई मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली

Recd

✓ श्रीमान महोदय श्री
केन्द्रीय पुरातत्व विभाग
नई दिल्ली 110013
Archaeological Section of Director General
Archaeological Survey of India
02 JUL 2013
RECEIVED

सभी प्रकार से प्राकृतिक से छेड़छाड़, दखल, मजाक, खिलवाड़ व तर्क-वितर्क के संबंध में शिकायत व सरकारों संबंधित कार्यालयों, विभागों को इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने के आदेश/निर्देश तथा आदेशों/निर्देशों का पालन समय-समय पर अवलोकन किये जाने तथा भारतीय सांस्कृतिक, पर्यावरण, ग्लेशियर, पहाड़ व जंगलों आदि को बचाने के संबंध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

संस्था की ओर से समय-समय पर पत्र एवं आर.टी.आई के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को पत्र के माध्यम से सुधार व सुझाव देते आ रहे हैं, संस्था जनहित/ लोक कल्याण/मानव कल्याण के लिये आपको उपरोक्त विषय में अंकुश/रोक लगाने के संबंध में प्रार्थना करती है :-

यह कि राज्यों में समय-समय पर कुदरती/प्राकृतिक से छेड़छाड़, दखल, खिलवाड़, मजाक होता आ रहा है जिसके चलते संस्था इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और विरोध करते हुए चिंता जताती है।

यह कि सरकार विकास के नाम पर प्राकृतिक से छेड़छाड़, मजाक, खिलवाड़ व तर्क-वितर्क करती आ रही है जिसका खामियाजा जनता व राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अधिक सूखा, सुनामी, अधिक गर्मी व अधिक ठण्ड व नदियों का रोकना, भारतीय सांस्कृतिक, पर्यावरण, ग्लेशियर, पहाड़ व जंगलों आदि का अतिक्रमण हो रहे हैं जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है।

यह कि कुदरती/प्राकृतिक से छेड़छाड़, खिलवाड़, मजाक, दखलअंदाजी इसी प्रकार से चलती रही तो आने वाले समय में हमें भारी परिणाम भुगतने होंगे, जैसाकि उत्तराखण्ड देवभूमि में कुदरती/प्राकृतिक आपदा से जो हुआ है, उससे समस्त भारत व देश पूर्ण रूप से नाकाम है। परन्तु संबंधित सरकारों, कार्यालय, विभागों को इस संबंध में कुछ नजर नहीं आता है।

यह कि इस विषय में समय-समय पर सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्तियों ने धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है परन्तु उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और सबकुछ देखकर भी नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि समय के बाद समस्याओं को संबंधित विषय व मुद्दों को भुला दिया जाता है और इसी प्रकार से कुदरती/प्राकृतिक आपदा से जनता व राष्ट्र को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसके लिये सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है।

यह कि मारे गये व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा एवं जिनके घर प्राकृतिक आपदा में तहरा-नहरा हो गये है उनके लिये पुर्नवास की व्यवस्था जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें।

यह कि सरकार से यह भी मांग है कि डाक कांवेड पर जल्द से जल्द रोक लगाने की कृपा करें क्योंकि डाक कांवेड में प्रयोग होने वाले वाहनों के द्वारा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के कारण प्राकृतिक को काफी हानि पहुंचती है एवं वातावरण दूषित होता है जिसके कारण त्रासदी होती रहती है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सभी प्रकार से पर्यावरण की अनदेखी हो रही है जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है।

यह कि सभी धार्मिक स्थलों पर गुटखा, पान, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि पर उचित प्रशासनिक रोक लगाई जाये तथा सभी धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर पाखण्डी/धोखेवाज महंत/पण्डित/मौलवी पूजापाठ आदि के नाम पर यात्रियों से पैसों की जबरन वसूली करते हैं और धार्मिक स्थलों पर दुकानदारों द्वारा यात्रियों से सामान, धर्मशाला/होटलों व परिवहन इत्यादि के नाम पर अधिक पैसा वसूल करते हैं, उन पर जल्द से जल्द रोक लगाते हुए उनके खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जाये।


अतः माननीय/आदरणीय/श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त विषय को ध्यान/संज्ञान में रखते हुए इस विषय में सरकारों, संबंधित कार्यालयों, मंत्रालयों व विभागों को आपके द्वारा उचित कार्यवाही करने व उपरोक्त मुद्दों/विषयों पर अंकुश/रोक लगाए जाने के सख्त आदेश/निर्देश व कार्यवाही का अवलोकन समय-समय पर किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे जनहित, लोकहित, मानवहित, समाजिकहित एवं राष्ट्रहित में लाभकारी हो, संस्था ऐसी आपसे जनहित में प्रार्थना करती है।

उत्तराखण्ड देवमूमि में प्राकृतिक आपदा से मारे गये लोगों व भारतीय जवानों के प्रति संस्था शोक व दुःख प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करती है।

नोट :- संस्था को भी कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा, संस्था ऐसी आपसे जनहित में प्रार्थना करती है। प्रत्युत्तर प्रतीक्षा में।



दिनांक : 1/7/13

माननीय केंद्रीय रेलवे मंत्री जी
केंद्रीय रेलवे मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली




शिव महाकाली भेराँ संक संस्था
विष्णु (अध्यक्ष)

माननीय C- B. I. निदेशक महोदय जी
C- B. I. मुख्यालय नई दिल्ली



माननीय दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय जी
दिल्ली पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली

माननीय दिल्ली पुलिस उप आयुक्त जी
दिल्ली पुलिस जिला मुख्यालय पूर्वी दिल्ली



No.A-43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated the 9th May, 2014.


Subject: Application filed under the Right to Information Act, 2005.

Please refer to your application dated 25/04/2014 under the RTI Act, 2005, which was received in this Ministry on 25/04/2014.

2. It is observed that vide Point No. 1 of the application you have not sought any specific information which is held by the Ministry of Home Affairs. You have raised vague and hypothetical questions on some issues and sought the views/opinion of this Ministry on those issues. It is stated that such requests do not come under the definition of information specified under Section 2 (f) of RTI Act, 2005. Under the provisions of this Act, an applicant can seek only that information (from a public authority) which exists in the records and is held by/under the control of that public authority. Queries/questions on hypothetical situations, questions seeking the opinion/views/legal interpretations of the CPIO/public authority on any matter, requests for personal favours/redressal of personal grievance(s) etc. are not permissible under the RTI Act. Further, vide Point No. 2 of the application you have sought information about the action taken on the letter dated 22/04/2014 which was addressed to Indian Railways and not to this Ministry.

3. In view of the position stated above, no information can be furnished by this Ministry with reference to your application.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi.


(V.K. Rajan)
Deputy Secretary (E) & CPIO

To

✓
Shri Vishnu,
32-43-A, Lane No. 10
Bhikam Singh Colony
Vishwas Nagar, Shahdara
DELHI - 110 032.

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME-BOUND

PLEASE
RTI SECTION
Prasads
15/5/14

No.A-43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

15/5/14

New Delhi, Dated the 9th May, 2014

Subject: Application filed under the Right to Information Act, 2005.

Please refer to your application dated 25/04/2014 under the RTI Act, 2005 which was received in this Ministry on 25/04/2014.

2. It is observed that vide Point No. 1 of the application you have not sought any specific information which is held by the Ministry of Home Affairs. You have raised vague and hypothetical questions on some issues and sought the views/opinion of this Ministry on those issues. It is stated that such requests do not come under the definition of information specified under Section 2 (f) of RTI Act, 2005. Under the provisions of this Act, an applicant can seek only that information (from a public authority) which exists in the records and is held by/under the control of that public authority. Queries/questions on hypothetical situations, questions seeking the opinion/views/legal interpretations of the CPIO public authority on any matter, requests for personal favours/redressal of personal grievance(s) etc. are not permissible under the RTI Act. Further, vide Point No. 2 of the application you have sought information about the action taken on the letter dated 22/04/2014 which was addressed to Indian Railways and not to this Ministry.

3. In view of the position stated above, no information can be furnished by this Ministry with reference to your application.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi.


o/c

(V.K. Rajan)

Deputy Secretary (E) & CPIO

To

Shri Vishnu,
32-43-A, Lane No. 10
Bhikam Singh Colony
Vishwas Nagar, Shahdara
DELHI - 110 032.



सत्यम्

शिवम्


सुन्दरम्



24/06/2011 | N.H.R. | 24/4
30/06/11

ॐ नमः शिवाय ॐ

शिव महाकाली मैत्री सेवा संस्था (पंजी०)



सत्यमेव ज्यते

(शान्ति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
स्थापना : 2006 Email : SMKE_sevasansta@yahoo.co.in
सम्पूर्ण भारत कार्य क्षेत्र संस्था की सभी प्रकार की न्यायलय कार्यवाही दिल्ली राज्य में होगी

दिनांक 25/5/11.....

Vishnu

P.R./S.M.K.B.SS

सेवा में श्रीमान केंद्रीय जनसूचना अधिकारी जी
केंद्रीय गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

विषय: किं जरी पत्र पर जनसूचना समितियों के स्तम्भों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में
रि. ग. उ. आदेश पत्र!

(1) मान्यवर

संश्लेषित कार्यालय मंत्रालयों / विभागों के अधिकारियों / अधिकारियों के अधिकारियों /
कार्यकर्तों / जी जनता / समाजिक कार्य / व्यक्तियों के साथ संपर्क
कार्य के साथ आदेश पत्रों में है, जहाँ कि, संश्लेषित कार्यालय / मंत्रालयों /
विभागों के अधिकारियों / अधिकारियों / कार्यकर्तों / कार्यकर्तों का स्वयं / उपलब्ध
व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं किया जाता है किन्तु अनेक उपलब्ध (विभागीय स्तरों पर)
माननीय कार्य के आदेश पत्रों में है कि इस सम्बन्ध में कि जरी पत्रों में कार्य प्रणाली
में, जब तक सुचारु रूप से प्रणाली, संश्लेषित कार्यकर्तों कि (कार्यकर्तों / स्तम्भों पर आदेशों
कि मॉडर्न उपलब्ध कराने का कार्य करे

दिनांक मां रेल एवं परिवहन संश्लेषित दिनांक 25/5/11 को पत्र किया था संश्लेषित
गौरी पत्रों पर किया हुआ कि कार्यकर्तों के आदेश - दिशा निर्देश देते संश्लेषित
इस कार्यकर्तों कि जरी है, संश्लेषित कार्यकर्तों कि मॉडर्न उपलब्ध
कार्यकर्तों। आवेदन शुल्क जमा कराया जा रहा है,

SMKE

विषय (अद्यतन) शिव महाकाली मैत्री सेवा संस्था

Reply



ॐ नमः शिवतराये ॐ

शिव महाकाली भैरों सेवा संस्था (पंजी०)



(शान्ति एकता का संदेश देते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा व मानवता के लिए सदैव तत्पर)
 कार्यालय : 32/43-ए, गली नं. 10, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
 स्थापना : 2006 Email : SMKB_sevasanstha@yahoo.co.in
 सम्पूर्ण भारत कार्य क्षेत्र संस्था की सभी प्रकार की न्यायलय कार्यवाही दिल्ली राज्य में होगी

दिनांक 22/11/14

Vishnu

P.R./S.M.K.B.SS

(1) श्रीमान् के.ए.ए. रेल मंत्रालय
 के.ए.ए. रेल मंत्रालय मांस.
 नं. दिल्ली 2440000

(2) श्रीमान् के.ए.ए. रेल मंत्रालय
 के.ए.ए. रेल मंत्रालय मांस.
 नं. दिल्ली 2440000

भारतीय रेल गाड़ियां सम्बन्धित रेल विभाग स्टेशन में पात्रियों सम्बन्धित सभी
 परिवारियों/ व्यक्तियों को अलग से अलग-दूर किए जाने व सम्बन्धित पत्र/ लम्बे-रूट
 वाली रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने एवं सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही के आदेश दिना.
 मि.देश दि. जाने व कार्यवाही का अन्तर्गत किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

मान्यवर संस्था कि और समय-समय पर पत्र व R.T.I के माध्यम
 से निम्न सुझाव, सुझाव देते आ रहे हैं, व देते रहेंगे
 जैसा कि उस विषय में कुछ सुझाव हुआ है परन्तु एक ही, भारतीय रेल
 विभागों स्टेशनों व उससे सम्बन्धित आस-पास के क्षेत्रों में निम्न सुझाव
 कि आवश्यकता है।

(1) जैसे कि भारतीय रेल/ लोकल ट्रेनों में पात्रियों सम्बन्धित जो परिवारियां ही निम्न
 प्रकार हैं, सफाई व्यवस्था ठीक न होना और आलय में गंध अधिक होना शिरी,
 बिड़जा डूरे होना पैसे व टिकट लाइनों का कार्य ठीक न होना जगह-जगह से
 रेल स्टेशनों में डूरे होना सम्बन्धित पात्रियों को अत्यधिक/ शरारत (तल्लो) का
 अंडा गरी करण, अशुद्ध बाला शिरोध करण पर माह-मिह करण आदि।
 यह सब दिल्ली से शरारत/ शरारत पत्रिका में देखा जा सकता है।
 जैसा ही हाल अन्य पत्रिका/ व.एम.पू ट्रेनों में यह सब आमजात से ही गरीब
 जैसा ही हाल बेहाल अन्य पत्रिका ट्रेनों में देखा जा सकता है, सभी ट्रेनों की
 संख्या बढ़ाई जाए, कार्यवाही के आदेश दिए जाए।

(2) पैसेंजर ट्रेनों में सभी अवयवस्था को दूर किए जाने के आदेश हैं, मुख्यतः महिला पुलिस कर्मियों कि पूर्वक स्टेशनों पर (रप) घंटे नानी के स्टेशनों पर सि.सी. टी. वी कैमरे कि व्यवस्था कि जारे सभी स्टेशनों पर अधिकारी/उच्च अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-आने का समय बायों मैटिक सिस्टम सभी स्टेशनों में मंत्रालय व विभागों में दुरन्त लागू किया जाये, अत्रय समय पर संस्था के आगवत भी कराया है, परन्तु इस सम्बन्ध में खाना पूर्ण कार्रवाई कि गयी है

(3) यह है कि जो कर्मचारी/अधिकारी अपना कार्य इमानदारी व निष्ठा पूर्वक करते हैं ऐसे कर्मचारियों का ही शौफल क्यों होता है न्याय रेल मंत्रालय एवं सम्बंधित विभाग जांच कर कर कार्यवाही क्यों नहीं कि जाती है, ज्यादातर उच्च अधिकारी अपने से निचे अधिकारी से व कर्मचारी द्वारा अपने निचे कार्य कराते हैं, इससे ज्यादा इसकी मात्र अशुद्धित कर्मचारियों को ये, सभी परेशानियां मोगनी पड़ती है, यह सब पुरानी किली रेलवे स्टेशन स्टेशन मास्टर व अधिकारी अपने कर्मचारियों से किस प्रकार अज्ञान, व्यवहार करते हैं, आश्चर्यजनक है, कर्मचारी/कर्मचारियों के विवाह पैदा कराते हैं और विवाह को बढ़ाते हुए चापलूसी कर्मचारी का पक्ष लते हुए व बचाव करते हुए अपने पर का पूर्ण रूप से दुरउपयोग लाना आदि खाडिया मज मानी करते हुए देस जा सकता है, ऐसे अधिकारी/अधिकारियों को उनके कार्य से निष्काशित किए जाना चाहिए, बिसय कि इमानदार कर्मचारी/अधिकारी/अधिकारियों का विश्वास बंटा रहे इस विषय में जांच के आदेश दे, पूर्वक स्टेशनों/विभागों जांच कार्यवाही निहायत की जाये

(4) यह है कि सभी कर्मचारियों/अधिकारियों/अधिकारी कि बर्षी पहलकर व नम वे पर ध्यान लगाकर कार्य करने के आदेश दे, और सभी कर्मचारी/अधिकारी/अधिकारियों अपने-2. यह पं गते हुए कार्य करने के आदेश दे,

(5) यह है कि पूर्वक स्टेशन/विभाग में व्यापक रूप से केले हुए महराचार कि जांच व कार्य वाई के आदेश दे,

(6) यह है कि पूर्वक स्टेशनों पर शौचालय के नम पर स्पर वे पैके व सुल जाते हैं, यह सब सम्बंधित विभाग कार्यालय कि मिली-मगत से होता है, कार्यवाही व जांच के आदेश दे,

(7) यह है कि ज्यादातर स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पिने योग्य पानी व जल कि व्यवस्था होक नहीं होती है, जैसे कि लखनऊ शहर पानी व पानी न होना व पानी के पास गंदगी अधिक होना आदि समस्याओं को देखा जा सकता है, सम्बंधित कार्रवाई के आदेश दे,

(8) यह है कि पूर्वक स्टेशनों के अन्दर व आस-पास अति क्रमता/कठजान होना यह सब सम्बंधित विभाग उसके अधिकारी कर्मचारियों कि मिली-मगत से होता है, इस सम्बन्ध में माननीय उपरीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके आदेशों की अवहेलना किस आदेशों से हो रही है कार्यवाही के आदेश दिए जाय !

(9) यात्रियों / मुसाफिरो के लिये मैत्री सम्बन्धित व्यवस्था भारतीय रेल / रेल में कि जाये जिससे कि यात्रा का आनन्द यात्री के लिये, जैसा कि रेल में ही स्टेशन आने से पहले ही पूर्वक स्टेशन कि जानकारी मिलना C.C.T.V के माध्यम से व्यवस्था होना चाहिए,

(10) यह है कि पैसेंजर / लोकल / E.M.U / मेल रेल में कि नयी द्वारा असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर यात्रियों / मुसाफिरो से जबरन पैसा वसूलता है, इसमें ठोमी गन्ना, पारबंडी / मोलवी की अपनी मुश्किल और उच्च नाजायज व्यय अपनी मुश्किल है, लेकिन यात्री से पैसे वसूलता है, इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व लोक स्टेशन के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी समन्वयियों को इसके जानकारी होने पर भी, कार्यवाही नहीं कि जाती है, यह सब पैसेंजर / लोकल / E.M.U / मेल रेल में देखा जा सकता है, इस सम्बन्ध में जांच कार्यवाही के आदेश है,

(11) यह है कि संस्थाओं भारतीय रेल / रेल मंत्रालय सम्बन्धित विभागों के सभी उच्च अधिकारी / अधिकारी / के नाम पर, पूर्व सम्बन्धी विभाग का नाम मौखिक न. / क्रम न. ई. मेल आदि की व्यवस्था मौखिक स्टेशन / जानकारी प्रदान कि जाये, रेल की न. की जानकारी दी जाये, एवं आपातकालिन स्थिति में रेल मंत्रालय / विभाग के आपातकालिन अधिकारी / अधिकारियों के नाम व पर, पूर्व सम्बन्धित विभाग मौखिक न. कि जांचकारी दी जाये, जिससे कि पीड़ित यात्री / व्यक्ति को भय व गुठार कर सब सिद्धित सम्बन्धित सुविधा, उपलब्ध करार जाने के आदेश है,

(12) भारतीय रेल / रेल मंत्रालय / सम्बन्धित विभाग द्वारा एन. जी. ओ. समाजिक संस्था / धार्मिक संस्था / शैक्षिक संस्थान / सांस्कृतिक / चरितार्थ स्टेट, प्रैस / इल्यूमिनेशन भीडिया व राजनीतिक दल / पार्टी के सदस्य / सदस्यों व ग्रुप की किस-2 प्रकार कि रेल किराये व रिजर्वेशन प्रियमन छूट दी जाती है, यह छूट / प्रियायत किस्म-2 प्रतिशत अधिकारियों पर दी जाती है, किस प्रकार प्राप्त कि जाती है, संलग्न होने वाले दस्तावेजों की प्रतिलिपि व जानकारी उपलब्ध कराई जाये, सम्बन्धित विभाग जहाँ यह दस्तावेज प्रमाणात् इन्हें छूट ले जा सकें व न्याय, छूट का प्रवधान किस-2 व्यक्ति पर लागू है, सभी सम्बन्धी छूट का प्रवधान एकात्मक है, इसकी पूर्ण जानकारी मांग करीन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध करार जाने के आदेश है,

(13) यह है कि जनदीन / राहू हीन में कि जेन 1/13 में पर दिया गया था जोकि संलग्न है इस पत्र, पर नया कार्यवाही कि गठन कार्यवाही 1/13

मन्त्री
विभाग अध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / मंत्री संस्था

गोपनीय स्वरूप में परिवार मंत्रालय / विभाग के आपातकालीन अधिकारी,
 कार्यों के नाम पर, पर सम्बंधित विभाग मोबाइल नं. मोन नं. क्रिआनकारी उपलब्ध
 है। जहाँ जिससे कि पीड़ित यात्री कि मदद व सुहाय कर सकें एवं पिनकोड सम्बंधित
 समों वस, अही पर सुविधा उपलब्ध कराई जाई जिससे कि आपातकालीन स्तर में पीड़ित
 यात्री / व्यक्ति कि मदद कि जासके,

परिवार मंत्रालय / विभाग द्वारा संस्था, एन. जी. जी., ऑसोटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, वॉलेंटियर संस्था,
 समाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, मठ, पैस / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक दल / पार्टी के सदस्य /
 सदस्यों व ग्रुपों को किस - २ प्रकार कि छूट कितने - २ प्रतियोगिता निर्धारित समीक्षण सेवाओं
 में मिलने वाली छूट रियायत किस - २ प्रकार से प्राप्त कि जा सक्ती है, सम्बंधित संलग्न होने वाले
 दस्तावेजों कि प्रतिलिपि व आनकारी उपलब्ध कराई जाई सम्बंधित विभाग। जहाँ ये, जमा वारत दुरी,
 छूट व रियायत कि जासके, म्या इसी प्रकार कि छूट व रियायत सम्बंधित व्यक्ति जैसे वृद्ध नागरिक /
 वरिष्ठ नागरिक व श्रद्धि / विकलांग व्यक्ति के छूट व रियायत प्रवधान है कृपया आनकारी सम्बंधित
 दस्तावेजों कि प्रतिलिपि व मठा दर्शन कराई जाई कि कृपया करे, समी आनकारी राष्ट्र भाषा हिंदी में
 उपलब्ध कराई कि कृपया करे।

उपरोक्त है कि अनुरोध / अज्ञात में दिनांक 30/7/13 में पत्र किया गया था जो कि संलग्न है इस पत्र पर स्या
 कार्यवाही कि गुरु हायालतार, 11/7/13

मवदीय

(Signature)
 विष्णु (अध्यक्ष) शिव महाकाली मठ संस्था